न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

शिवपाल पिता बितानीराम पटेल उम्र 56 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0

निग – 1873 – II/16

.........................निगरानीकर्ता

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0

..................गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0 का प्रकरण क्रमांक 111/स्व.पुन./2011–12 व पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :–

01. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.09.2013 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय कलेक्टर जिला उमरिया के द्वारा अनावेदक/निगरानीकर्ता को नोटिस जारी की गई थी जिसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा बिन्दुवार दिया गया था, आराजी नं0 497 रकवा 2.000 हे0 का व्यवस्थापन आदेश नायब तहसीलदार मानपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 33/अ–19(4)/1989–90 में विधि अनुकूल आदेश दिनांक 20.02.1990 को ग्राम कछौहा तहसील मानपुर की भूमि का आदेश विधि अनुकूल म0प्र0 भू0 रा0सं0 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1873-दो/2016 जिला उमरिया शिवपाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 111/स्व.पुन./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	